राजनीतिक सिद्धांत की समझ

विषय : राजनीति सिद्धांत

प्रश्न पत्र : राजनीतिक सिद्धांत की समझ

सेमेस्टर : प्रथम

अध्याय : राजनीतिक सिद्धांत में परम्पराएँ : नारीवाद

लेखक : डॉ. रेखा रानी

विभाग : राजनीति विज्ञान विभाग

University Of Delhi

राजनीतिक सिद्धांत में परम्पराएँ : नारीवाद

अध्याय : राजनीतिक सिद्धान्त में परम्पराएँ : नारीवाद

परिचय

नारीवाद का उदय एवं विकास

नारीवाद की प्रथम चरण

नारीवाद की दूसरा चरण

नारीवाद की तीसरा चरण

- नारीवादी अध्ययन के विभिन्न उपागम
- उदारवादी नारीवाद
- मार्क्सवादी नारीवाद
- समाजवादी नारीवाद
- उग्रनारीवाद
- उत्तर आधुनिक नारीवाद
- पर्यावरण नारीवाद

  नारीवाद की केंद्रीय अवधारणाएँ :

  - लिंग (सैक्स) एवं जेंडर विभेदीकरण
  - प्रकृति / संस्कृति
  - निजी और सार्वजनिक
  - पितृसत्ता और हिंसा

- समकालीन समस्याएँ
- जेंडर और राजनीतिक सिद्धांत
- अभ्यास प्रश्न
- संदर्भ - ग्रंथ सूची

राजनीतिक सिद्धांत की परम्पराएँ : नारीवाद

डॉ.रेखा रानी

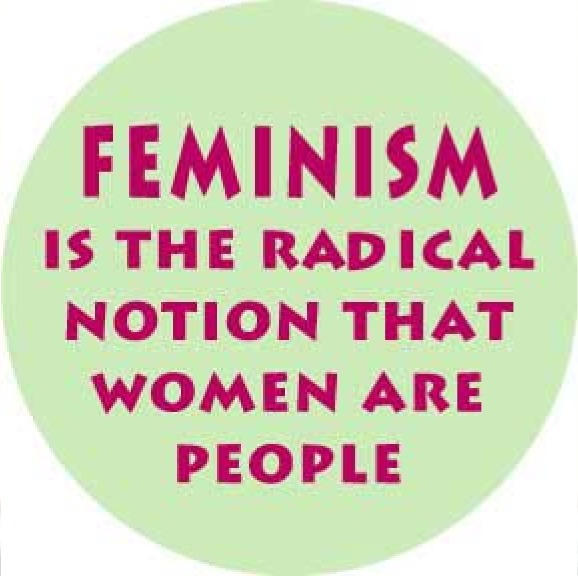

http://www.sparksummit.com/wp-content/uploads/2012/11/Feminismradicalnotion-1.jpeg

नारीवाद राजनीतिक आंदोलन का सामाजिक सिद्धांत है जो स्त्रियों के अनुभवों से जन्मा है। मूल रूप से यह सामाजिक सम्बंधों से अनुप्रेरित है नारीवादी विद्वान लैंगिंक असमानता और महिलाओं के अधिकार इत्यादि को मुख्य मुद्दा बनाते हैं। नारीवादी सिद्धांत का उद्देश्य लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना तथा इसके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैगिंक भेदभाव की राजनीति और शक्ति-संतुलन के सिद्धांतों पर इसके असर की व्याख्या

करना है। स्त्री-विमर्श सम्बन्धी राजनीतिक प्रचारों का जोर। प्रजनन अधिकार, घरेलू हिंसा, मातृत्व अवकाश, समान वेतन सम्बन्धी अधिकार, यौन उत्पीड़न, भेदभाव एवं यौन हिंसा पर रहता है।

नारीवाद अध्ययन का एक नया क्षेत्र है इसलिए इस विषय पर वाद-विवाद या बहस पर आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि जिस जटिल सामाजिक संरचना ने महिलाओं के दमन-शोषण और आधिपत्य को बढ़ावा दिया है। वह है पितृसत्ता। नारीवादियों का मानना है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने महिलाओं के लिए दासता जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी और उन्हे घरेलू जीवन तक ही सीमित कर दिया है। पितृसत्ता सामाजिक संरचना में एक ऐसी सत्ता को दर्शाती है जिसका झुकाव पुरुषों की तरफ होता है। दूसरे शब्दों में, यहाँ परिवार और सम्पत्ति दोनों पर पिता का शासन चलता है और मुख्य रूप से यह व्यवस्था पुरुष को प्रमुख सत्ता के रूप में स्थापित करती है। पितृसत्तात्मक संस्था सदियों से फलती-फूलती आई है। इसके द्वारा पुरुष को अपने परिवार और समाज में ताउम्र और लगातार नियंत्रण के लिए एक विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर पुरुषों का विशेषाधिकार महिलाओं को प्राकृतिक रूप से दोयम दर्जे पर धकेल देता है। परिवार में पुरुष का आधिपत्य स्थापित हो जाता है तथा महिलाएँ हर तरीके से पुरुषों पर निर्भर हो जाती है और घर की चारदीवारी में सिमट जाती हैं।

नारीवाद एक आंदोलन के साथ एक विचारधारा भी है जिसने विभिन्न तरीके और साधनों को अपनाकर महिलाओं के लिए समानता,सम्मान अधिकार, राजनीतिक अधिकार और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहा है।

पितृसत्ता की परिभाषा गर्डा लरनर ने इस प्रकार दी है :- " परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति और संस्थानीकरण तथा सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरुषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है" । इसका अभिप्राय है कि पुरुषों का समाज के सभी महत्वपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रहता है और महिलाएँ ऐसी सत्ता तक पहुँच से वंचित रहती हैं।

नारीवाद पितृसत्ता के विरुद्ध खड़ा एक आंदोलन है। पुरुषों द्वारा आधिपत्य का एक और बड़ा आधार है यौनिकता (Sexuality) । यौन के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव ने उनको सभी अधिकारों और सम्मान से वंचित रखा है। इससे सम्बन्धित विचार हमें नारीवाद के उग्र (रेडिकल) दृष्टिकोण में मिलते हैं। उदाहरण के लिए, केट मिल्लेट एवं शुलामिथ फायर स्टोन जैसे रेडिकल नारीवादी दलील देती हैं कि विपरीत यौन सम्बन्ध आधिपत्य की एक तकनीक है। शुलामिथ फायरस्टोन इस पारिवारिक संरचना को जड़ से समाप्त करने की बात करती है।

पितृसत्ता की जड़ें हमें सभी धर्मग्रंथों में भी आसानी से मिल जाती है। स्त्रियों की घरेलू गुलामी से लेकर लिंग-भेदभाव, यौन उत्पीडन, वेश्यावृत्ति आदि में लिंग के आधार पर धर्मों के द्वारा भी पुरुष वरीयता को ही प्रश्रय दिया गया है। विशेष रूप से धर्म प्रधान भारतीय संस्कृति में धर्म स्त्री की पराधीनता का मुख्य कारक रहा है। चाहे मनुस्मृति की बात करें या बाइबिल की। सभी धर्मग्रंथों में स्त्रियों और परिवार सम्बंधी सभी अधिकार पुरुषों को दिए गए हैं। मनुस्मृति में तो इस बारे में कहा गया है कि स्त्री को बचपन में पिता के अधीन, यौवनावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए और पति को देवतुल्य मानना चाहिए। प्राचीन संस्कृतियों द्वारा स्थापित इस तरीके की धारणाएँ एवं विश्वास के विरुद्ध महिलाएँ सम्पूर्ण क्षमता के साथ खड़ी ही नहीं हो पाती है; बल्कि सामान्यतया; महिलाएँ इस व्यवस्था को मूक समर्थन भी देती हैं।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंदर महिलाओं को काबू में रखने के लिए विभिन्न प्रकार के हिंसक कृत्यों का भी प्रयोग हो सकता है। इतना ही नहीं, इस प्रकार की हिंसक गतिविधियों को वैध भी मान लिया जाता है। नारीवादी चिंतकों के अनुसार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंदर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग अत्यधिक ही नहीं बल्कि व्यवस्थित रूप से भी होता है | (भसिन कमला:2000:22)

नारीवाद एक आंदोलन के साथ-साथ एक विचारधारा भी है। एक विचारधारा के रूप में नारीवाद इस बात की वकालत करता है कि महिला और पुरुषों में जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता होनी चाहिए। अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप से आंदोलनरत होने की प्रेरणा स्त्री जाति को फ्रांसीसी क्रांति से प्राप्त हुई थी। एक आंदोलन के रूप में नारीवाद ने बहुत से तरीके अपनाकर महिलाओं के अधिकार, सम्मान और दूसरों के आधिपत्य व द्वितियक दर्जे से निकलकर महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहा है। इस प्रकार नारीवाद जेंडर विभेद के आधार पर असमानता में विश्वास नहीं रखता किंतु पुरुष विरोधी भी नहीं है। वस्तुत: यह विचारधारा स्त्री पक्ष से ऐतिहासिक एवं वर्तमान समय में विद्यमान समस्याओं को देखते हुए उनका समाधान देखती है। लेकिन नारीवाद को स्पष्ट और सुबोध दर्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नारीवाद की बहुत सी धाराएँ है, जो अलग-अलग उपागम, दिशा और उद्देश्य को दर्शाती हैं। पितृसत्ता को हटाना और लिंग समानता प्राप्त करना ही वह मूल विचार है जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। महिलाओं की स्वतंत्रता की चिंता को लेकर सभी नारीवादी एक-दूसरे से जुड़े हुए है परंतु इन अन्यायों को जाँच करने एवं समाधान के लिए उन्होंने अलग-अलग सुझाव दिए हैं। जिनसे एक समान समाज की स्थापना की जा सके **(कोलिन:2004:)** । इसी प्रकार ऐलीसन जैगर का भी मानना है कि नारियों की पुरुषों से अधीनता समस्त नारीवादी धाराओं को एकजुटता प्रदान करती है लेकिन यह एकजुटता जल्द ही अधीनता के कारणों और इनको दूर करने के उपायों के सवाल पर बिखर जाती है **(जैगर:1983:3)** । प्रस्तुत लेख में नारीवाद के उदय एवं विकास, नारीवादी अध्ययन के उपागम, इसकी केंद्रीय अवधारणाओं एवं जेंडर व राजनीतिक सिद्धांत आदि विषयों की समालोचना की गई है।

नारीवादी विचार का उदय एवं विकास :
(Origin and Development of Feminist Thought)

नारीवाद का एक चिंतनीय और बौद्धिक विषय के रूप में उदय हाल ही में हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि सभी पुराने लेखों में जो बड़े-२ दार्शनिकों और सिद्धांतशास्त्रियों हमेशा उन्हें जानबूझकर, महिला, उसकी भूमिका और उसके औचित्य को नकारा दिया। प्रख्यात शोधकर्त्ताओं ने अपने ऐतिहासिक लेखों द्वारा यह विश्वास दर्शाया कि प्रकृति ने महिलाओं को प्रजनन क्षमता में सक्षम, परिवार की देखभाल और गृह संचालन के लिए उपयुक्त बनाया है। अरस्तू के लेखों का उदाहरण दिया जा सकता है जिनमें उसने महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल ही नहीं किया। रूसो ने भी महिलाओं को नागरिकता से बाहर रखा, नित्शे ने महिला समानता अधिकार सिद्धांत का मजाक उड़ाया। राजनीतिक दर्शन और सिद्धांत के इतिहास में ऐसा वर्णन शायद ही मिलेगा कि पुरुष समाज में कभी भी महिलाएँ मुख्यधारा का हिस्सा बनी हों । यह कुल मिलाकर महिलाओं की प्रतिष्ठा को कम करना रहा होगा। अरस्तू की **पॉलिटिक्स** हो या जॉन रॉल्स की **थ्योरी ऑफ जास्टिस** राजनीति के गम्भीर अध्ययन में महिलाएँ पूरी तरह अदृश्य थी। इन सबके बावजूद, समाज में समय-समय पर ऐसी महिलाओं का जन्म होता रहा है जिनकी दृढ़ इच्छाशक्ति के बाद इतिहास बदलता रहा है। नारीवाद आंदोलन के उदय एवं विकास को विभिन्न चरणों में दर्शाया जा सकता है:

प्रथम चरण : 19 वीं सदी के अंत और 20 वीं सदी के प्रारम्भ में उदार नारीवाद का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में परम्परागत उदारवाद ने मुख्य रूप से अधिकारों की बहस पर जोर दिया जिसका अमेरिका में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। महिला मताधिकार की मांग के साथ-साथ महिलाओं के साधारण नागरिक और राजनीतिक अधिकारों में विस्तार की मांग की जो नारीवादी लेखकों एमिली पंखुश्ट क्रिस्टबेल पंखुश्ट, मैरी वोल्स्टोन क्राफ्ट, जे.एस.मिल, हैरियट टेलर, रिबेका वॉकर, बैटी फ्रीडन, मार्गरेट फुलर आदि के कार्यों में दिखाई देती है।

प्रथम चरण के नारीवादियों का विश्वास था कि मत देने का अधिकार प्राप्त करने से महिलाओं की सभी समस्याओं का अंत हो जायेगा। उनकी सोच थी कि धीरे-धीरे और आराम से महिलाएँ इस असमानता और पूर्वाग्रह को पछाड़ कर बराबरी का स्थान प्राप्त कर लेंगी। किंतु नारीवादियों के लिए चिंता का विषय यह रहा कि उन्होंने जो सोचा था वैस कुछ हुआ नहीं । सिर्फ अधिकारों का विस्तार ही महिला मुक्ति के लिए काफी नहीं था। इस असफलता ने उन्हें और अधिक निराश कर दिया। महिलाओं की इस निराशा और व्याकुलता को बैटी फ्रीडन ने अपनी पुस्तक **'द फैमिनिस्ट मिस्टिक'** (1963) में चित्रित किया।

प्रथम चरण 19 वीं शताब्दी के अंत और 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में शुरु हुई। जिसका प्रतिनिधित्व उदारवादियों द्वारा किया गया। दूसरी लहर 1960 के बाद शुरु हुई जिसमें उग्रवादियों का प्रभाव दिखाई दिया। तीसरी तरह का प्रतिनिधित्व अलग-अलग विचारों और अलग-अलग अभिव्यक्ति के माध्यमों द्वारा किया गया जो 1990 से अब तक जारी है।

दूसरा चरण : दूसरे चरण का अंदाजा 1960 में ही लगना शुरु हो गया था। इसके उदय के बहुत से कारण रहे हैं। इस काल में बहुत अधिक मात्रा में अमेरिका और यूरोप में महिलाओं की शिक्षा का विकास हुआ। जिन व्यवसायों में पहले पुरुषों का आधिपत्य था, उनमें महिलाओं ने प्रशिक्षण और योग्यता हासिल करना शुरु कर दिया । इसी के साथ 1960 में बहुत सारे कानूनी बदलाव हुए जिनमें समान शिक्षा, गर्भपात पर कानून, समान वेतन और नागरिक अधिकार प्रमुख हैं। इतना ही नहीं, इस दौर में महिलाओं का जन्म नियंत्रण और परिवार नियोजन से भी परिचय हुआ और निश्चित रूप से गर्भनिरोधक गोलियों ने महिलाओं को निजी और सार्वजनिक स्वतंत्रता प्रदान की।

इस दौर में बहुत अधिक मात्रा में महिला साहित्य में कार्य हुआ। 'सिमोन द बुआ' की **'द सैकेंड सेक्स' (1961),** सुलामिथ फायरस्टोन की **'द डायलैक्टिक ऑफ सेक्स (1970),** जरमाइन ग्रीअर की **'द फीमेल यूनक' (1970) ,** कैट मिलैट की **'द सैक्सुअल पॉलिटिक्स' (1970**), इवा फिजि की **'पैट्रियार्किल ऐप्टीट्यूडस' (1970) और** मैरी डेली की **'द चर्च एण्ड द सैकंड सैक्स' (1968)** आदि पुस्तकें इस दौर में प्रकाशित हुई।

इस लहर ने महिलाओं पर होने वाले व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक और लिंग सम्बंधी अत्याचारों पर ध्यान आकर्षित किया । इस दौर के उग्र नारीवादियों ने लैंगिकता और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर विशेष ध्यान दिया। इस युग के सभी लेखकों एवम् विचारकों ने महिला की सर्वोच्चता, उसका गौरव, उसकी नैतिक सर्वोच्यता, राजनीतिक भागीदारी, महिला समलैंगिकता और पुरुषों से महिला का विवाह-विच्छेद अर्थात् अलग होने का समझौता आदि को दर्शाया और परिवार समेत सभी संस्थाओं को महिलाओं पर लिंग सम्बंधी अत्याचार के लिए प्रयोग की जाने वाली संस्था के रूप में चिन्हित किया गया ।

तीसरा चरण :

यह चरण महिला आंदोलन के विखंडन का गवाह बना । अलग-अलग स्वायत्त महिला आंदोलनों से नए-नए कथन उभर कर आए। नारीवाद का तीसरा चरण 1990 से अब तक जारी है। इसने पहली और दूसरी लहर की असफलता और प्रतिबद्धता पर बात की। दूसरे चरण के नारीवादियों के विपरीत तीसरे चरण के नारीवादियों ने लैंगिकता की सकारात्मक रूप से प्रशंसा की । इस चरण में मुख्य रूप से लैंगिक हिंसा और कार्यस्थल पर लैंगिक दमन का विरोध किया गया तथा प्रजनन अधिकार, बलात्कार, मातृत्व अवकाश और एकल माताओं के समर्थन में आवाज उठाई गई ।

20 वीं सदी के पिछले तीन दशकों में नारीवाद प्रमुख रूप से यूरोप और उत्तरी-अमेरिका तक न सिमटकर पूरे विश्व में फैल चुका है। इस दौर में बहुत सारी शोध पत्रिकाएँ और महिला पत्रिकाएँ आनी शुरु हो गई । इस प्रकार

महिलाओं से सम्बन्धित साहित्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। महिलाओं से सम्बंधित अध्ययन, विषय व पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में आ गये और महिला मुद्दों पर लगातार जागृति आ रही है।

नारीवादी अध्ययन के उपागम :

Approaches in Feminist Studies :

उदारवादी नारीवाद

प्रथम चरण के नारीवादी उदारवादी रहे हैं। उदारवादी नारीवाद फ्रांस की क्रांति द्वारा प्रेरित और आत्मज्ञान के विज्ञान पर आधारित था। इस नारीवाद का मुख्य विचार यह है कि सब मनुष्य ईश्वर द्वारा एक समान बनाए गये है। उदारवादी नारीवादियों ने महिलाओं और पुरुषों की समानता और अधिकार पर जोर दिया। उनके अनुसार महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण वे सामाजिक तौर-तरीके हैं जो पुरुषों द्वारा निर्मित और पुरुषों के फायदे के लिए हैं। उदारवादी नारीवादियों के अनुसार महिलाओं और पुरुषों में एक समान मानसिक क्षमता होती है, इसलिए उन्हें सामाजिक,राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अवसर दिये जाने चाहिए। समाज द्वारा हमेशा उनके कंधों पर अतिरिक्त बोझ डालकर उनकी कार्यक्षमता को कम किया गया और उनकी गतिशीलता को भी प्रतिबंधित किया गया। बुद्धिजीवियों ने भी महिलाओं के प्रश्न को हमेशा खारिज कर दिया जैसे कि महिलाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक महिला की पहचान एक अच्छी माँ, पत्नी और बहन के रूप में थी। महिलाओं को अपने बारे में निर्णय लेने की इजाजत नहीं थी। वे हर समय दूसरों द्वारा बनाए गए निर्देशों पर चलती थी।

उदार नारीवाद में महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकार जैसे कि समान नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग की । इनके प्रयासों द्वारा महिलाओं को मताधिकार मिला जिसने महिलाओं के लिए और आगे के मार्ग को प्रशस्त किया।

नारीवाद का सबसे महत्वपूर्ण और शुरूआती समय फ्रांस की क्रांति के तुरंत बाद का है। लगभग इसी समय 1792 में मेरी वोल्स्टोन क्राफ्ट की पुस्तक **'ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वूमैन'** आई जिसने नारी अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई। मेरी वोल्स्टोन क्राफ्ट ने महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए क्रमबद्ध तरीके से शुरूआत की। उसने महिलाओं को नागरिकता के अधिकार से बहिष्कृत करने पर सवाल उठाया और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग की। उसने इस मान्यता का भी खंडन किया कि प्रकृति ने स्त्री को पुरुष की दासी बनाया है। उसने इस उदारवादी मान्यता को दोहराया कि 'मनुष्य विवेकशील प्राणी है", उसकी विवेकशील प्रकृति ही स्वतंत्रता और आत्म-निर्णय के अधिकारों का

स्रोत है। स्त्रियाँ भी निस्संदेह मनुष्य हैं। मनुष्य के नाते वे भी विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील प्राणी के नाते उन्हें भी पुरुषों के समान स्वतंत्रता और आत्म-निर्णय का अधिकार है। नैतिक दृष्टि से स्त्रीत्व को भेदभाव का युक्तियुक्त आधार नहीं माना जा सकता।

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Marywollstonecraft.jpg

वोल्स्टोन क्राफ्ट ने तर्क दिया है कि स्त्रियों को उपयुक्त शिक्षा दी जाए, पूर्ण नागरिक अधिकार प्रदान किए जाएँ, कानूनी तौर पर उन्हें अपने पति से स्वाधीन माना जाए। और यदि उन्हें अपनी योग्यता का स्वतंत्र रूप से इंस्तेमाल करने दिया जाए तो वे समाज का पूर्ण सदस्य बनने के लिए सक्षम हो जाएँग़ी और स्वयं पुरुषों के लिए भी अधिक उपयुक्त सहचर सिद्ध होंगी। वोल्स्टोन क्राफ्ट को विश्वास था कि जब तक स्त्री-पुरुष की यह विषमता (Inequality) कायम है तब तक सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता।

जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्त्रियों को पुरुषों के समान राजनीतिक और सामाजिक अधिकार देने की पेशकश की थी। 1861 में मिल द्वारा लिखी गई स्त्री-विमर्श की पुस्तक 'दि सब्जेकशन ऑफ वूमेन' एक प्रकार से दिवगंत पत्नी के प्रति श्रद्धाजंलि थी, जिसके कारण उन्हें सम्पूर्ण विश्व में नारीवादी चिंतक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। इस पुस्तक में जहाँ स्त्रियों के कार्यों, मनोभावों और क्षमताओं की श्रमसाध्य व्याख्या की गई है, वहीं परम्परागत रूढ़िवादी सोच के विरुद्ध तर्कपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। मिल स्त्री की दासता को दासप्रथा का एक स्वरूप मानते हैं और इसे पाशविक व मनुष्यता के विरुद्ध समझते हैं। वह सवाल उठाते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार क्यों नहीं दिये जाने चाहिए? क्या इसके पीछे कोई ठोस तर्क है या ऐसा पहले से होता आया है। क्या इसके पीछे शारीरिक शक्ति का नियम दृष्टिगत नही होता? स्त्री मुक्ति को लेकर वह सता तक को कठघरे में खड़ा करते हैं

और यह भी कहते हैं कि अरस्तू जैसा महान दार्शनिक भी दासत्व और स्वामित्व के विषय में परम्परागत सोच का शिकार हो गया है। (आलेख - जॉन स्टुअर्ट मिल और नारीवाद, प्रभा दीक्षित)[1] सीमोन द बुआ की भाँति वह भी कहते हैं कि एक स्त्री को पुरुष के विरोधी गुणों से सम्पन्न किया जाता है। उसे आत्मसम्मान की जगह आत्मसमर्पण की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि स्त्री की शारीरिक दासता के साथ-साथ पुरूष उसे मानसिक दास भी बनाना चाहता है। वे स्त्री-पुरुष असमानता की आलोचना करते हुए न्यायपूर्ण समानता की पैरवी में दुनिया की आधी आबादी को समान व्यवसाय या सम्मानजनक कार्य न दिए जाने का विरोध करते हैं और बुद्धि, विवेक और बल में महिलाओं को कम नहीं मानते। मिल के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्रियों के बारे में नियम या कानून बनाने का अधिकार नहीं है क्योंकि स्त्री-पुरुष के बीच जो फर्क दृष्टिगत होता है। वह प्राकृतिक न होकर परिस्थितिजन्य होता है। वे प्राकृतिक रूप से स्त्री के पुरुष से कमतर होने की मान्यता को नकार देते हैं। मिल प्रश्न करते हैं कि अगर स्त्री वर्ग को पुरुषों की भाँति स्वतंत्रता होगी तो क्या मानव समाज एक बेहतर स्थिति में नहीं होगा? वे असमानता को समाप्त करने के लिए लिंग भेद को हटाकर समान अवसर व समान सुविधायें देने पर बार-बार जोर देते हैं। इनके बाद बहुत से नारीवादियों ने सृजनात्मक लेख लिखने शुरू किये और इस बात पर बल देना शुरू किया कि पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों में भी बराबर समझदारी और क्षमता है।

फ्रांस की क्रांति ने महिलाओं को समाज में अपनी समस्याओं और सम्भावनाओं के बारे में सोचने में सहायता की। अपने इस उत्पीड़ित व कुंठित अस्तित्व के विरुद्ध जाकर कुछ महिलाओं ने इस स्थिति से बाहर निकलने की कल्पना की। उदारवादी नारीवाद स्त्री-पुरुष की समानता के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए उदारवादी नारीवादी राजनीतिक अधिकारों की माँग और कानूनी सुधारों के माध्यम से समान अधिकार हासिल करने की कोशिश करते रहे। विशेष रूप से मताधिकार समाज में उनके अस्तित्व को ऊपर उठाने का सम्भव रास्ता था। उदारवादी नारीवदियों के मुख्य मुद्दे मताधिकार, शिक्षा का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, यौन-हिंसा और घरेलू हिंसा का अंत,प्रजनन का अधिकार, गर्भपात की सुविधा आदि रहे। मताधिकार की प्राप्ति को उदार नारीवादियों की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में अलग-अलग महिला समूहों ने संगठित होकर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। 1848 को सेनेका फाल्स कन्वैंशन (Seneca falls convention) महिला अधिकारों का पहला औपचारिक समझौता था। इसने दृढ़ता से महिलाओं के लिए सामाजिक , नागरिक और नैतिक अधिकारों की सूची पारित की। अमरीकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में सेनेका फॉल्स समझौते को मताधिकार आंदोलन की नींव के रूप में ग्रहण किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में मताधिकार आन्दोलन ने अपने आप को नागरिक मताधिकार आंदोलन के साथ जोड़ लिया और महिलाएँ, जैसे एलिजाबेथ कैडी स्टैनटोन, फ्रैडरिक डगलस, सुसैन बी.एंथनी ने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ऐसा माना जाता है कि सेनेका फाल्स कंवैंशन का व्यापक

[1] http://adharshilapatrika.blogspot.in/2009/10/blog-post_5903.html

असर आगे चलकर दिखाई दिया जब क्रमश: विभिन्न देशों ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान करना शुरू किया। विश्व में न्यूजीलैण्ड पहला देश बना जिसने 1894 में महिलाओं का मताधिकार प्रदान किया और जल्दी ही अनुसरण बाकी देशों ने किया।1914 में फिनलैण्ड और नार्वे ने महिलाओं को मताधिकार दे दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1920 और ब्रिटेन ने1928 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। इसी प्रकार ब्रिटेन में एमिलिनपंखुश्ट और उसकी बेटी क्रिस्टाबेल ने मताधिकार आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं को मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए महिलाओं की शिक्षा की पुरजोर वकालत की। उन्होंने अपनी पुस्तक **'थॉटस ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स'** (1787) में इसका संकेत दिया। उदारवादी नारीवादियों के प्रयास से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी कई कानून बनाए गये जिन्होंने महिलाओं की प्रतिष्ठा को समाज में बढ़ाया और कानूनी और राजनीतिक सुधारों द्वारा महिलाओं को अच्छा साथी, माता और पत्नी के रूप में निर्मित किया। इसकी रणनीति मुख्य रूप से सुधारवादी रही।

उदारवादी नारीवाद के आलोचक मानते हैं कि यह नारीवाद सिर्फ पितृसत्ता में सुधार की बात करता हैं। सुधारों का लाभ सिर्फ मध्यमवर्गीय महिलाएँ ही उठा पाती हैं। इस नारीवाद का समानता का नारा सिर्फ श्वेत मध्यमवर्गीय महिलाओं की पुरुषों के साथ समानता का है। उदारवादी नारीवाद गरीब और अश्वेत महिलाओं की समानता के प्रश्न को नहीं उठा पाये। इसलिए इस उदारवाद में नस्ल और वर्ग भेदभाव निहित है जो समान अधिकारों की बात करने वाले नारीवाद के लिए हानिकारक है। यह लिंग आधारित असमानता के मूल कारण का पता लगाने में असफल रहा है।

मार्क्सवादी नारीवाद(Marxist Feminism)

http://www.stephenhicks.org/wp-content/uploads/2012/10/marx_and_engels.jpg

मार्क्स और एंगेल्स ने अपने शुरुआती वर्षों में महिलाओं के प्रश्न पर बहुत कम बात की है। मार्क्स को यह आभास था कि समाजवाद के तहत महिलाएँ स्वतंत्र होंगी। एंगेल्स भी सुझाव देते है कि परिवार एक सामाजिक इकाई की तरह है, ऐतिहासिक और भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तनशीलता के कारण, श्रम और पूंजी की प्रकृति बदलती गई। मुख्य विवाद यह था कि महिलाओं के दमन का मूल कारण निजी सम्पत्ति और पूंजीवाद के विकास में था, हालाँकि एंगेल्स ने बाद के बहुत सारे नारीवादियों के लिए श्रम के बटँवारे की व्याख्या प्रस्तुत की। एंगेल्स ने मार्क्स के सदृश, इन विचारों का विकास अपने प्रसिद्ध ग्रंथ **'द ओरिजन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपटी एण्ड द स्टेट'** (1884) में किया। अपनी इस कृति में एंगेल्स यह चित्रण करते है कि महिलाओं का शारीरिक और लैगिंक श्रम संतान उत्पति, परिवार और निजी सम्पत्ति की देखभाल के लिए सही माना जाता है। हाँलाकि उनका दमन प्राकृतिक रूप से सही नहीं है बल्कि पितृसत्ता के क्रम को पूरा करता दिखाई देता है। निजी सम्पत्ति की संस्था के उदय और पुरुषों के हाथ में सम्पत्ति की स्थापना ने महिलाओं के अस्तित्व की पहचान को अंधेरे में धकेल दिया। एंगेल्स ने इसे महिलाओं की अंतिम हार के रूप में दिखाया है। सभी समाजों में पितृवंशीय सम्पत्ति पिता से पुत्र को स्थानांतरित होती है। मार्क्सवादी नारीवादी यह सोचते हैं कि पूंजीवाद के तहत वर्गशोषण महिलाओं के उत्पीडन का मूल कारण है। वे महिलाओं की स्वतंत्रता हेतु पूंजीवादी व्यवस्था के खात्मे के लिए आंदोलन का आह्वान करते हैं। मार्क्सवादी नारीवादियों के अनुसार समाज में महिलाओं का उत्पीड़न पुरुषों द्वारा इरादतन नहीं किया जाता बल्कि इसके पीछे वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना काम करती है जिसमें व्यक्ति रहता है। मार्क्सवादी नारीवादियों की सबसे बड़ी कमी यह रही कि इन्होंने आर्थिक कारकों को ज्यादा महत्ता दी है जिसके कारण सामाजिक और राजनीतिक पक्ष पूरी तरह पीछे रह जाता है, जबकि पितृसत्ता के पीछे आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी कारक समान रूप से जिम्मेदार हैं। किसी भी एक कारक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

समाजवादी नारीवाद (Socialist Feminism)

नारीवाद का एक अन्य बड़ा सिद्धांत समाजवाद है। परंतु समाजवादी और मार्क्सवादी साहित्य के बीच में द्वेषपूर्ण बँटवारा दिखाई देता है। अनेक सशक्त नारीवादी मुद्दे बहुत सारे समाजवादी लेखकों द्वारा उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए फ्यूरियर, रॉबर्ट ऑबन,, विलियम थाम्पसन और एन व्हीलर 19 वीं सदी के अंत और 20 वीं सदी के प्रारम्भ में कुछ महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक योगदान फ्रैडरिक एंगेल्स, ऑगस्ट बेबल अलैक्जैडर कोलंताई और कलारा जैटकिन से आए। फूरियर और सेंट सिमोनियम दोनों ने महिलाओं के समानता और परिवर्तन को समाजवाद की उपलब्धियों की आवश्यक शर्त माना।

मार्क्सवादी नारीवादी यह महसूस करते हैं कि परम्परागत मार्क्सवाद वर्ग-विश्लेषण की जटिलता के साथ अटका हुआ है जो लिंग भेद को अनदेखा करता है। वे सुझाव देते है कि मार्क्सवादी वर्ग विश्लेषण में श्रम का विभाजन पुरुष और नारी श्रम के रूप में करते हुए इस कमी की पूर्ति की जा सकती है। एलिसन जैगर और इरिस मैरियन यंग लैंगिक असमानता के प्रश्न का पता लगाने के लिए मार्क्सवादी शब्दावली में प्रयुक्त जैसे श्रम और आर्थिक ढ़ाँचे को आधार बनाती है। वे पाती हैं कि महिलाओं की अधीनता का मुख्य कारण महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता है। जिसके परिणामस्वरूप वे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक समानता तथा आर्थिक

निर्भरता के लिए आवाज उठाती हैं। उनके अनुसार, पारिवारिक चरित्र और मातृत्व का बंधन महिलाओं की गुलामी की स्थिति के लिए उत्तरदायी है।

सम्पूर्ण विश्व में महिलायें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण उपजे अवैतनिक घरेलू श्रम में लगी हुई है जिसे न तो समाज में मान्यता प्राप्त है, न ही महिलाओं को इस कार्य हेतु पारिश्रमिक दिया जाता है और न ही पुरस्कृत किया जाता है। श्रम के लैंगिक विभाजन पर आधारित परम्परागत पारिवारिक ढाँचा व्यक्ति को अपनी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और जरुरत के लिए काम करने में सहायक बनता है क्योंकि उसकी सभी आवश्यकताओं और हितों का ध्यान उसकी पत्नी द्वारा रखा जायेगा। समाजवादी नारीवादी शारलेट पर्किंस और जिलमैन महिलाओं के संकट के समाधान के रूप में घरेलू काम के व्यवसायीकरण की सलाह देती हैं।

इस प्रकार, समाजवादी नारीवादियों ने मुख्यत: यह सिद्धांत दिया कि पूँजीवाद के विकास में महिलाओं द्वारा किये जाने वाले घरेलू कार्य का बहुत बड़ा योगदान है, जबकि उसे अनुत्पादक कार्य मानकर महत्व नहीं दिया जाता है। इनके अनुसार इस प्रकार के घरेलू कार्य से पूंजीवाद को बहुत तरीकों से लाभ पहुँचता है :-

1.उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों को उनकी पत्नियों द्वारा ठीक समय पर भोजन और सुख-सुविधा उपलब्ध कराने के फलस्वरूप मजदूरों की कार्यक्षमता बढ़ती है और वे ज्यादा समय तक गुणात्मक कार्य कर पाते हैं।

2. मजदूरों को पत्नी के रूप में अवैतनिक नौकरानी मिल जाती है।

3. मजदूरों की पत्नियाँ बच्चों के रूप में भावी मजदूरों को जन्म देकर पुनरुत्पादन का काम करती हैं।

यदि इन सब बातों का विश्लेषण किया जाये तो घरेलू कार्यों के आर्थिक महत्व का पता चलता है यदि मजदूरों को समय पर आराम और भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी कार्य-क्षमता घटेगी जिसके फलस्वरूप उद्योगों का उत्पादन कम होगा और पूंजीपतियों का नुकसान होगा। दूसरे, यदि घरेलू कार्य के लिए मजदूर की वेतन वृद्दि की मांग बढ़ेगी, तो पूंजीपति को घाटा होगा। इसीलिए पूंजीपति वर्ग चाहेगा कि महिलाएँ घर का काम करें और उसे काम न मानकर उनका कर्तव्य माना जाये। (नारीवाद: एक अवलोकन, संदीप मल्हान)[2]

मार्क्सवाद और समाजवादी नारीवाद की इस आर्थिक व्याख्या से पहले गृहणियों के कार्य को उनका कर्तव्य मानकर महत्व नहीं दिया जाता था। इन विचारकों ने गृहकार्य की आर्थिक व्याख्या करके आँकड़े सामने रखे तब जाकर घरेलू कार्यों के महत्व को समझा गया। नारीवादियों ने आर्थिक व्याख्या सिर्फ उसके काम के आर्थिक महत्व को बताने के लिए की, जबकि एक महिला के कार्यों की मात्र आर्थिक आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती है। एक महिला अपना सम्पूर्ण जीवन परिवार की देख-रेख में लगा देती है और उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है।

---

[2] http://sandeepmalhan88.blogspot.in/2012/06/blog-post_28.html

नारीवादी, जैसे गर्दालरनर, जूलियर मिशेल और अन्य नारीवादी यह विश्वास करते हैं कि महिलाओं को उनकी जैविक अवस्थिति के साथ समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार अवश्य दिए जाने चाहिए। इसलिए नारीवादियों ने यह माँग उठायी कि औरत गृहिणी बनना चाहती है या नौकरी करना चाहती है या दोनों जिम्मेदारी निभाना चाहती है, यह निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ महिला का होना चाहिए न कि निर्णय उस पर कोई अन्य थोपे। मिशेल इस बात पर बल देती हैं कि महिलाओं की स्थिति और कार्यों को संयुक्त रूप से उसकी प्रजनन क्षमता और लैंगिकता के आधार पर निर्धारित किया गया है। लर्नर यह मानती हैं कि पुरुषों द्वारा महिलाओं पर आधिपत्य न तो प्राकृतिक है और न जैविक है बल्कि यह ऐतिहासिक है और इसलिए इसे ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। जिल्ला आइंसटेन, **'कैपिटलिस्ट पैट्रियार्की : द केस फॉर सोशियलिस्ट फैमिनिज्म'** (1979) में पितृसत्ता और पूँजीवाद के गठजोड़ के खिलाफ तर्क देती हैं कि पितृसत्तात्मक प्रणाली के कारण महिलाओं का उत्पीड़न होता है क्योंकि पुरुष आधिपत्य और पूँजीवाद दोनों में एक ऐसा गठबंधन है जो महिलाओं के दमन पर आधारित है। उनके अनुसार यह उत्पीड़न लैंगिक होता है जिसमें पुरुष के पास विशेषाधिकार होते हैं, हालाँकि उनका यह भी मानना है कि पूँजीवादी व्यवस्था में महिला और पुरुष दोनों का शोषण होता है।

उग्र नारीवाद (Radical Feminism)

http://philosophy.uoregon.edu/files/2011/04/Simone_de_Beauvoir.jpg

उग्र नारीवाद का उदय 1960 में नारीवाद के दूसरे चरण में हुआ। इसने लिंग विश्लेषण के बारे में समझ का विस्तार किया और महिलाओं के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार मूल कारण की तलाश की। इन्होंने लैगिंक दमन और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाया और बताया कि इसका मुख्य कारण महिलाओं का दोयम दर्जा और उनकी वंचना है। महिलाओं की प्रजनन क्षमता की जिम्मेदारियाँ, पालन-पोषण और पारिवारिक चरित्र में महिलाओं की अविरल बंदी स्थिति के कारण दिखाई दिए।

उग्र नारीवाद का उदय अमेरिका में 1960 के अंतिम दशक में हुआ। वहाँ से यह इंग्लैण्ड और फिर आस्ट्रेलिया पहुँचा। उग्र नारीवादियों ने महिलाओं के दमन और शोषण के विभिन्न पहलुओं पर जागरुकता फैलाने तथा उनसे निजात पाने के लिए राजनीतिक एवं रणनीतिक उपाय बताए। उनका यह दृष्टिकोण 'चेतना की जागृति' के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 'व्यक्तिगत अनुभवों' पर हुई बहसों से यह निश्चित हो गया कि इन सबका मूल कारण पितृसत्ता है। महिलाओं को अब पारिवारिक पुरुषों के दमन-शोषण के साथ सत्ता में बैठे पुरुषों के दमन और शोषण से भी मुक्ति पाना था। महिलाओं ने मौन तोड़कर अपनी समस्याएँ उजागर कीं जिन्हें वे पहले केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याएँ मानती थी। कुछ महिलाओं ने मिलकर एक नई चेतना जागृत की और उन समस्याओं की पहचान की जिनके समाधान ढूँढ़े जा सकते थे। यह एक स्वचेतना पर आधारित रणनीति थी कि सब महिलाओं की समस्याएँ एक जैसी हैं तथा सामूहिक और राजनीतिक प्रयास द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। इसका मुख्य नारा था "व्यक्तिगत ही राजनीतिक है" (पर्सनल इज पॉलिटिकल) ।

उग्र नारीवाद की शुरुआत में 'सिमोन द बुआर के ग्रंथ **'द सेकेंड सैक्स'** (1949) में उनकी उक्ति, "महिलाएँ जन्म नहीं लेती बल्कि उन्हें महिला बनाया जाता है", ने एक चिंगारी का काम किया। इस लेख ने लिंग की उग्रवादी समझ को पेश किया और पितृसत्ता की व्यापक आलोचना की। केट मिलेट ने अपनी पुस्तक **'सैक्सुअल पॉलिटिक्स'** में पितृसत्तात्मक हिंसा की भूमिका का अन्वेषण किया। आधिपत्य और शक्ति द्वारा लैगिंक रिश्तों को बनाने के कार्य की भूमिका का भी अन्वेषण किया और पाया कि राजनीति भी इससे अनजान नहीं है और वह शक्ति और वंशानुक्रम द्वारा हर जगह गम्भीरतापूर्वक चलाई जाती है। उन्होंने अलग-अलग धर्मों से उदाहरण देकर यह दिखाया कि कैसे धर्म पुरुषों के आधिपत्य को स्थापित करने और बनाये रखने में मदद करता है और महिलाओं की कमतर स्थिति को दर्शाता है। वे विश्वास करती हैं कि महिलाओं की चेतना को जागृत कर इस मूल्य प्रणाली को बदला जा सकता है।

इस युग में फायरस्टोन ने अपनी चर्चित कृति **'द डायलैक्टिक ऑफ सेक्स'** के अंतर्गत नारीवाद की नई व्याख्या देकर नारीवादी आंदोलन को एक दिशा प्रदान की। शूलामिथ ने संकेत किया कि नारी की पराधीनता को प्रभुत्व की किसी विस्तृत प्रणाली का हिस्सा या लक्षण मानकर नहीं समझा जा सकता। ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्रियाँ पहला-पहला उत्पीड़ित समूह थीं। स्त्रियों के प्रति पूर्वाग्रह को मिटाकर या समाज के वर्ग-विभाजन का अंत करके महिलाओं की पराधीनता को समाप्त नहीं किया जा सकता। स्त्रियों की पराधीनता ऐसा संकल्पनात्मक प्रतिरूप प्रस्तुत करती है जिसके आधार पर समाज में सब तरह के उत्पीडन का विश्लेषण किया जा सकता है।

शूलामिथ के ध्यान का मुख्य केंद्र स्त्रियों की परधीनता का जीववैज्ञानिक आधार है। मानवीय प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसने विश्व स्तर पर एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन की जरूरत पैदा कर दी थी। इस तरह मानव जाति का जीववैज्ञानिक आधार ही पुरुष प्रधान समाज को जन्म देता है। शूलामिथ ने स्त्रियों की पराधीनता के विषय को एक राजनीतिक समस्या के रूप में प्रस्तुत करके नारीवादी चिंतन और आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

जरमाइन ग्रीअर ने अपनी कृति **'द फीमेल यूनक'** (1970) में यह विचार कि घरेलू काम और एकल परिवारों के बोझ ने महिलाओं को अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पसंद के कार्य करने के विचार से वंचित किया है। महिलाओं को पुरुषों के समाज ने उनकी इच्छाओं, आवश्यकताओं के लिए कार्य करने के लिए उनकी लैंगिकता, प्राकृतिक और राजनीतिक स्वायत्त्ता से अलग किया है। एंड्रिय डवोर्किन और कैथरीन मैकनिन पोर्नोग्राफी के खिलाफ दृढ़ता से आए और पोर्नोग्राफी के बारे में पश्चिम में मजबूत बहस को जन्म दिया। नारीवादी डवोर्किन और मैकिनन ने कहा है कि पोर्नोग्राफी महिलाओं के लिए अमानवीय और अपमानजनक हैं। किसी भी मात्रा में जबरदस्ती सेक्स या बलात्कार, घरेलू हिंसा, लिंग दमन आदि के रूप में महिलाओं के प्रति हिंसा के लिए पुरुष ही जिम्मेदार हैं। वे विश्वास करते हैं कि पोर्नोग्राफी हिंसा और लैगिंक पदानुक्रम को लगातार बनाये रखती है। इसके विपरीत उदारवादी नारीवादियों जैसे नडाइन सट्रोसैन, एलिस्न एसिस्टर ने पोर्नोग्राफी की सैंसर व्यवस्था की निंदा की और इस विषय में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत की ।

उत्तर आधुनिक नारीवाद

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Hélène_Cixous_par_Claude_Truong-Ngoc_2011.jpg

उत्तर- आधुनिक नारीवाद फ्रैंच नारीवाद के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर आधुनिक नारीवाद के नारीवाद से सम्बंध आशंकाजनक हैं। (रौजमैरी:1989:217) उत्तर आधुनिक नारीवादियों को लगता है कि नारीवाद में एक व्याख्याता वर्ग है जो चीजों की पुरुष सोच के हिसाब से व्याख्या करता है । उत्तर आधुनिकता नारीवादी विद्वान, संसार में जो हो रहा है उसे प्राकृतिक नहीं मानते वे संसार की व्याख्या करने वाले इस उपागम को कुछ प्राकृतिक प्रतीकात्मक शर्तों पर छोड़ना चाहते हैं। इतिहास की कहानियाँ पुरुषों की गाथा पर आधारित हैं। जिसे उत्तर

आधुनिक नारीवादी प्राकृतिक नहीं मानते। प्राचीन लेखकों से लेकर आधुनिक काल तक के लेखकों ने स्त्री-पुरुष के अंतर को दबाने के लिए प्राकृतिक व्यवस्था को बनाये रखने की कोशिश की है जिसका निर्माण पुरुष ने किया है यही कारण है उपन्यासकार हैलिनी सिज़ू (Helene cixous) कहती हैं कि पुरुषों के लेख पुरुष सोच पर केंद्रित है, जो हमेशा ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि पुरुष प्रमुख है। औरतें हमेशा पुरुषों के समाज में पुरुषों की शर्तों पर अस्तित्व में हैं और जिसमें पुरुष प्रधान (Self) है और महिलाएँ दूसरे दर्जे की हैं (रौजमैरी:1989:224)।

सिज़ु जोर देकर कहती हैं कि औरतों को अब जरूर इस दुनिया से बाहर आ जाना चाहिए जो पुरुषों ने बनाई है। हेलिनी सिज़ू ने नारीवादी लेखों के माध्यम से समाज एवम् संस्कृति में परिवर्तन के लिए मानक सुझाए हैं जो महिलाओं की आजादी की क्षमता का स्रोत बन सकते हैं। नारीवादी ज्ञानवाद और दृष्टिकोणीय नारीवादी सिद्धांत (Stand point theory) का यह दावा है कि ज्ञान के प्रभावशाली वाद-विवाद से हमेशा ही महिलाओं को बाहर रखा गया और हाशिये पर डाल दिया गया ताकि उनकी आवाज को असंगत कहा जा सके। इतिहास की व्याख्या सही मायने में तब शुरू होगी जब उनके विचारों,समझ और दृष्टिकोण को मिलाया जायेगा।

ऐसी ही सोच लुईस इरिगिरे के लेखों से प्रकट होती है। वे दावे के साथ कहती हैं कि पुरुषवादी वाद-विवाद में औरतों को कभी भी समझा नहीं जा सका। वे पुरुषवादी सोच के अलावा कुछ भी नहीं समझते हैं। महिला लैंगिकता (Sexuality) पुरुष के समान नहीं माना जाता है। नारीवाद को नई परिभाषा देने के क्रम में महिला दृष्टिकोण के बारे में इरिगिरस कहती हैं कि **'ऑडिपस कॉम्पलैक्स'** (Oudipus Complex) को नष्ट होना जरूरी है। पितृसत्ता में पुरुष का पौरुष अर्थ प्रबंधन पूरी तरह से महिला लैंगिकता (Sexuality) को नकारता है। सिज़ु की तरह इरिगिरे देखती हैं कि महिला की लैंगिकता ज्यादा सकारात्मक और उदार रही। वे महिला की लैंगिकता की विविधता और उसके अनुभव के तत्व का बखान करती हैं। जूलिया क्रिस्टोवा (Juliakristeva's) के विचार सिज़ू और इरिगिरे से अलग हैं। उसे महिला और स्त्रीलिंग अवधारणा के मौलिक दर्शन से आपत्ति है। वे कहती हैं कि इसे जरूर बदला जाना चाहिए। वह बाकी वर्गों का भी वर्णन करती है जो कि अनुपयुक्त माने जाते हैं और जिनकी आवाजे प्रतिभाशाली वाद-विवाद का हिस्सा नहीं हैं जैसे- होमोसैक्सुअल्स, यहूदी, रंग आधारित और सजातीय अल्पसंख्यक । जूलिया क्रिस्टेवा, हेलेन और लुईसइरिगिरे, तीनों की विचारधारा में एक सामान्य चीज है ये तीनों मानती है कि भाषा और लैंगिकता के बीच के जटिल सम्बन्ध को खोजने की जरूरत है ताकि ऐसा तरीका ईजाद किया जाये जो पुरुष (लिंगाधारित) सोच को प्राथमिकता न दे।

बटलर अपनी कृति **'जैंडर ट्रबल्स'** (Gender Troubles) (1990) में सेक्स (Sex) , जेंडर (Gender) और लैंगिकता (Sexuality) की समबद्धता पर प्रश्न उठाती हैं। वह जेंडर को नाटकीय (Performative) बताती हैं। डोना हार्वे का मानना है कि सारी की सारी महिलाओं को एक समान वर्ग में नहीं रखा जा सकता। वह कहती कि वैज्ञानिक संस्कृति में दृढ़ पक्षपात है और साइबर नारीवाद (Cyborg Feminism) का प्रस्ताव सामने रखती है। साइबर नारीवाद महिला को सशक्त करेगा और महिलाओं को कड़ी मेहनत की प्राकृतिकता और मौलिकता से

छुटकारा दिलायेगा। सिजू (Cixous) 'द लाफ ऑफ मैडूसा ' The laugh of medusa (1975) में लैंगिकता (Sexualtiy) और भाषा (Language) के जटिल सम्बन्ध को बताती है। इरिगिरे 'द सेक्स विच इज नोट वन' (The sex which is not one 1985) में इस बात का विस्तार से वर्णन करती हैं कि किस प्रकार महिला को वस्तु मानकर बर्ताव किया जाता है। उनकी मान्यता है कि सम्पूर्ण समाज स्त्री-पुरुष के आदान-प्रदान पर टिका है।

हालाँकि उत्तर आधुनिक नारीवादियों के एक आलोचक का मानना है कि वास्तविक क्रांतिकारी संघर्ष से पीछे हट गए हैं और सभ्रांत बुद्धिजीवी वाद-विवाद में फँसे हैं। जहाँ नारीवादी सम्पूर्ण विश्व में विरोध बहिष्कार, यात्राओं, और प्रचार के द्वारा प्रतिरोध व्यक्त कर रहे हैं। उत्तर आधुनिक नारीवादी, सिर्फ कल्पनाशील बुद्धिजीवी वाद-विवाद में फँसे जो बाकी लोगों के लिए आसानी से व्याख्या करने के योग्य है लेकिन परिणाम देने योग्य नहीं है इस प्रकार बहुत सारे नारीवादियों के लिए उनका कोई अर्थ नहीं हैं।

पर्यावरण नारीवाद (Eco Feminism)

http://www.queenofthesun.com/2010/11/vandana-shiva-physicist/

इसी दौर में सांस्कृतिक नारीवाद (Cultural Feminism), नाम से विचार सम्प्रदाय उभर कर आया जो महिला एवम् पुरुष के बीच अंतर की खूबियों का बखान करता है। इसी श्रेणी में वंदना शिवा जैसी पर्यावरण नारीवादी मानती हैं

कि प्रजनन, पालन पोषण, सम्पोषण, जड़ से जुड़े रहना जैसी गुण ही शायद महिलाओं को पुरुषों से बेहतर और अलग बनते हैं। इस अर्थ में पर्यावरण-नारीवादी उन नारीय गुणों का बखान करते हैं जिनका पितृसत्ता नामक विचार, प्रवृत्ति एवं संस्था ने उपहास उड़ाया है और महिला की कमजोरी के रूप में चित्रित किया है। अत: संक्षेप में पर्यावरण नारीवादी मानते हैं कि महिलाओं को अपने लैंगिक गुणों पर गर्व करना चाहिए और अपने को एक अपराधी मानने के बजाय एक कर्ता मानना चाहिए। इस प्रकार उत्तर आधुनिक नारीवादी उग्रनारीवाद के विचारों को अस्वीकार करते हैं।

नारीवाद की केंद्रीय अवधारणाएँ (Central Themes in Feminism)

सेक्स जेंडर विभेदीकरण (Sex-Gender Differentiation)

नारीवाद का सबसे बड़ा योगदान रहा है 'सेक्स'(Sex), जेंडर (Gender), में भेद स्थापित करना।'Sex' एक जैविक शब्द है , जो स्त्री और पुरुष में जैविक भेद को दर्शाता है। वही 'Gender' शब्द स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। जेंडर शब्द से हमें इस बात का इशारा मिलता है कि जैविक भेद के अतिरिक्त, जितने भी भेद दिखते हैं, वे प्राकृतिक न होकर समाज द्वारा बनाये गये है और इसमें यह बात भी सम्मिलित है कि अगर यह भेद बनाया हुआ है तो दूर भी किया जा सकता है। समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के पीछे समाजीकरण की प्रक्रिया है, जिसके तहत बचपन से ही बालक- बालिकाओं का अलग-अलग ढ़ंग से पालन-पोषण किया जाता है। इस फर्क को हम अपने आस-पास भी देख सकते हैं।लड़कियों को घरेलू काम-काज सिखाये जाते हैं जबकि लड़कों को बाहर के। लड़कियों को दयालु, कोमल, सेवाभाव रखने वाली, सहृदय और घरेलू तथा संस्कारी बनाया जाता है जबकि लड़को/पुरुषों को मजबूत, ताकतवर सख्त और वीर बनाया जाता है। जेंडर की यह घिसी-पिटी सोच पितृसत्ता को स्थापित करती है जो पुरुषों को ऊपर और महिलाओं को नीचे रखती है।(कैटरियोना:2008:)

ऐतिहासिक साहित्य में हमेशा पुरुषों को प्राथमिकता दी गई और महिलाओं को गुमनामी में धकेल दिया गया। यह महिला द्वेष सभी धर्म ग्रंथों में व्याप्त है। प्लेटो और अरस्तू ने जिस विचार और वस्तु का सम्बन्ध बताया है वह भी जानने योग्य है। प्लेटो और अरस्तू ने व्यक्ति(पुरुष) को विवेकशील बताया है और महिला का अज्ञानी। इसलिए वे यह मानते हैं कि ज्ञान व्यक्ति से बड़ा है और पुरुष महिला से बड़ा है । अरस्तू कहता है कि जैसे शरीर आत्मा के अधीन रहता है महिला पुरुष के अधीन रहती है। इस मानसिकता से हमारा ज्ञान और मूल्य प्रभावित है। यह मानसिकता हमारी संस्कृति, परम्पराओं और संस्थाओं का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है।

नारीवाद की प्रकृति/संस्कृति

युग्म स्थितियों के विचार जैसे विवेक/भावनाएँ ,दिमाग/शरीर, सार्वभौमिक/व्यक्तिगत , वस्तुवाद/आत्मवाद आदि पितृसत्तात्मक संरचना द्वारा दिए गए। इस संदर्भ में आधुनिक विज्ञान जेंडर पर आधारित है और पुरुष केंद्रित है। डोना हार्वे (Donna harraway), नेली ओड्श्यून (Nelly oudshoorn), इवलिन फॉक्स कैलर (Evelyn Fox Keller), डोरीथी स्मिथ (Dorothy smith), और अन्य लोगों का मानना है कि ये सब विचारात्मक बनी-बनाई धारणाएँ बाद में परम्पराएँ बन गई। महिला और पुरुष पर लिंग भेदभाव इन घिसे-पिटे विचारों के आधार पर थोपा गया है।(हेवुड:1992:)

पुरुषों के बारे में पारम्परिक धारणा बन गई है कि पुरुष सक्रिय है, फुर्तीला है, और उसकी सोच स्पष्ट है। इन्हें पुरुषों के प्राकृतिक गुणों के रूप में देखा जाता है, जो सकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं जबकि पारम्परिक सोच के अनुसार महिलाओं को निष्क्रिय, सुस्त, और अस्पष्ट या रहस्यात्मक विचारों वाली माना जाता है। ये गुण प्राकृतिक रूप से नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। यह परम्परागत सोच उनके जैविक अंतर के कारण उपजी है जिसके अनुसार पुरुष सक्रिय प्रदाता (Active sperm donar) है और महिला निष्क्रिय धारक है (Passive recur) है। यह परम्परावादी लोगों की सोच है परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है। **'सिमोन द बुआ'** अपनी पुस्तक **'द सैकेण्ड सैक्स'** में कहती हैं कि पुरुष तब तक प्रदाता नहीं बन सकता जब तक महिला की आंतरिक शारीरिक व्यवस्था उसे सहयोग न दे। सिमोन द बुआ कहती हैं कि महिलाओं के प्रति यही सोच संस्कृति में उनके प्रतिनिधित्व का स्रोत बन गई। इसी कारण से महिलाओं की किसी कार्य में राय नहीं ली जाती है बल्कि पुरुषों द्वारा अपने विचार उन पर थोप दिए जाते हैं।ये प्राकृतिक शारीरिक अंतर ही महिलाओं के सांस्कृतिक रूप से शोषण का कारण बनते हैं। पुरुषों द्वारा निर्मित संस्कृति यह निर्धारित करती है कि शासन करना पुरुषों का स्वभाव है जबकि शासित होना महिलाओं की प्रकृति है। इस आधार पर महिलाओं को गृहकार्य एवं बच्चों की देखभाल तक सीमित रखा जाता है जबकि पुरुष इससे अलग रहते हैं। बच्चों को जन्म देना, लालन-पालन करना और उसको सामाजिक व्यक्तित्व बनाने तक का कार्य महिला को सौंपा जाता है जिसके तहत महिलाएँ बच्चों के पालन पोषण की प्रक्रिया में प्रकृति के साथ निकटता से जुड़ जाती है जबकि पुरुष में इस प्राकृतिक गुण का अभाव होता है। यह स्थिति पुरुष को परिवार से अलग कर देती है और पुरुष ऐसे कार्यों की तरफ उन्मुख हो जाता है जो सांस्कृतिक तर्क के आधार पर पुरुषों का के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे धर्म,राजनीति, प्रशासन आदि ऐसे में पुरुष संस्कृति से सम्बंधित हो जाता है और पुरुषों को इन सबका स्वामी धोषित कर दिया जाता है। जेन्डर हमेशा से समाज द्वारा निर्मित वर्ग है, जो प्राकृतिक नहीं है। सेक्स / जेंडर भेद को उन लोगों द्वारा नकार दिया गया जो मानते हैं कि लोगों का सेक्स के आधार पर वर्गीकरण करने का कोई जैविक आधार नहीं हैं। (वैलेरी:2002:113) इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे ऐसी महिलाएँ जिनमें प्रजनन क्षमता नहीं होती, ऐसी महिलाएँ जो दूसरी महिलाओं की तरफ आकर्षित होती हैं, कुछ ऐसी जो ये महसूर करती हैं कि वे महिला के रूप में पुरुष हैं और कुछ में अनिर्धारित लैगिंक अंग अथवा पुरुष गुणसूत्र होते हैं। जूडिथ बटलर इस सिद्धांत का दावा करती हैं कि सेक्स पहले से निर्धारित होता है जबकि जेंडर समाज की सांस्कृतिक देन है। उत्तर आधुनिक नारीवादी संसार को द्वि

आधारी अवस्थाओं में समझने से इंकार करते हैं। इससे प्रकट होता है कि सेक्स को इस द्विविभाजन और द्विआधारी विषमताओं से नहीं समझा जा सकता है, इसके लिए एक गहन समझ की जरूरत है।

<u>निजी ही राजनीतिक है (Personal is the Political)</u>

उदारवादी परम्परागत रूप से मानते थे कि व्यक्तियों का व्यक्तिगत जीवन और अर्थव्यवस्था उनके निजी विषय हैं। नारीवादी राजनीतिक तथा पितृसत्ता दोनों क्षेत्रों में लगातार नारीवादी परम्परागत नारीवादियों की आलोचना करते रहे हैं। नारीवादी परम्परागत नारीवादियों पर लगातार ये आरोप लगाती रही है कि इन्होंने जान-बूझकर निजी का बहिष्कार किया है। राज्य के पास सार्वजनिक क्षेत्र में दखल देने की सत्ता और वैधता है लेकिन राज्य ने निजी से दूरी बना रखी है। नारीवादी बहस यह है कि महिलाओं के साथ जितना भी अत्याचार, शोषण (दमन) होता है वह घर के अंदर होता है। घरेलू दुनिया को राज्य से बाहर मानना पितृसत्ता को राज्य के द्वारा बढ़ावा दिया जाना है। नारीवादियों ने राजनीति के दायरे को बड़ा कर दिया है। वे कहते हैं कि राजनीति प्रभाव और प्रभुत्व का खेल है। इसका मतलब यह है कि सारे सम्बन्ध राजनीतिक और राजनीति सिर्फ सार्वजनिक और सरकार के दायरे में सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं में समाई हुई है जिसमें निजी जीवन भी आता है। यह एक ऐसा समय था जब परिवार में महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण होता था, इसलिए नारीवादियों ने इसे सार्वजनिक करने की बात की।

सूजन मोलर ओकिन (Susan Moller Okin) का कथन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार इस विभाजन ने परिवार को राजनीति के अवधारणा क्षेत्र से बाहर कर दिया है। दिन-प्रतिदिन की न्याय की समस्या की उपेक्षा करते हुए परिवार को राजनीति से बाहर कर दिया है। इस उपेक्षा के कारण लैगिंक दमन, अन्याय और असमानता बढ़ गई है। आक्किन कहते हैं कि व्यक्तिगत क्षेत्र प्रभाव का क्षेत्र है। निजी क्षेत्र के अंदर कुछ चीजों की व्याख्या उसे राजनीतिक क्षेत्र से अलग करती हैं, जैसे कि विवाह कौन कर सकता है, शादी की क्या क्या आवश्यकताएँ हैं? शादी की समाप्ति की शर्तें क्या हैं, आदि। (कैटरियोना:2008:225) पारिवारिक अभ्यास और अविरल लैंगिकता बच्चों को सामाजिक मानकों से अवगत कराता है। यह एक ऐसा कार्यक्षेत्र है जो पितृसत्ता के निर्माण को बढ़ावा देता है। लैंगिक श्रम विभाजन पितृसत्ता का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है जबकि यह सब उसकी स्वायत्तता और क्रिया (Agency) पर कार्य करता है।

सिंथिया इनलोई **"बनाना,बिचीज एण्ड बेसिस"** (2000) में इस वाद-विवाद को थोड़ा आगे ले जाती है और घोषणा करती है कि 'निजी अंतर्राष्ट्रीय है' (Personal is International') इसका मतलब यह है कि इज्जतदार महिला और ईमांनदार व्यक्ति की छवि का निर्माण घरेलू राजनीति करती है जिसे आगे परिवार के अंदर जेंडर पर आधारित भूमिका से बढ़ावा मिलता है।

पश्चिमी सभ्यता में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का जिस प्रकार विभेदीकरण हुआ है वह नारीवाद के लिए एक नया महत्व रखता है क्योंकि इसमें पुरुष जेंडर मूल्यों का एक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है। निजी, विशेष रूप से घरेलू क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर खासकर उन कार्यों का भार लाद दिया जाता है जिसको मूल्य-विहीन या कम महत्व रखने वाला कार्य माना जाता है जैसे- खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों का पालन- पोषण करना इत्यादि। दूसरी तरफ वे सारे कार्य जिनको ज्यादा मूल्यवान तथा उच्च-स्तरीय समझा जाता है जैसे कि प्रशासन अथवा राजनीतिक कार्यों में रूचि लेना, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं जिससे महिलाओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाहर रखा जाता है। यह भी दावा किया जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र पुरुष जेंडर की उपज है जिसको बनाने की प्रकिया में महिलाओं के जेंडर मूल्यों को पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है। महिला मुक्ति आंदोलन को मौलिक रूप से क्रांतिकारी होने की जरूरत है जो महिलाओं को पुरुष अत्याचार से सिर्फ मुक्ति नहीं दिलाएगा बल्कि जेंडर समाजीकरण से उनकी रक्षा भी करेगा। इसके अलावा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच की बाधाओं को दूर करते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जिसमें संस्कृति एवं राजनीति का एक नया तथा अ-पितृसत्तात्मक रूप दिखाई देगा।

पितृसत्ता और हिंसा

पितृसत्ता हर मानव समाज में व्याप्त है। यह असमानता पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिये उन्हं महिलाओं का दमन, शोषण और अधीन किया जाता है। यह लिंग सम्बन्धी श्रम विभाजन और लैंगिकता को फैलाता है। यह पुरुष लैंगिकता को विशेषाधिकार और प्रतिरक्षित करता है। पितृसत्ता शक्ति का खेल है जिसमें महिला की स्वतंत्रता,स्वास्थ्य, खुशी की कीमत पर पुरुष इसका आनंद लेता है।गर्डा लरनर अपने पितृसत्ता के विश्लेषण के अवलोकन में कहती हैं कि महिलाओं की प्रजनन क्षमता के कारण उनका अधीनीकरण करना पुरुषों के लिए आसान हो जाता है।इस पर अवश्य आपत्ति जतानी चाहिए।

पितृसत्ता हमारी समझ और व्याख्याओं को आकार देती हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें पुरुष हर चीज का मापदण्ड बन जाता है, महिलाओं का कोई महत्व नहीं होता । जिस पर इस सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए एक ही चीज को बार-बार दोहराया गया है।इस अवस्था में उसी तरह पितृसत्ता को प्राकृतिक बताया जाता है जबकि सच्चाई यह है कि यह व्यवस्था सदियों पहले समाज द्वारा निर्मित की गई थी ताकि ये पितृसत्ता पुरुषों की दुनिया में महिलाओं को हमेशा सतह पर रखें।

ये समाज परिवार, धर्म, संचार माध्यम, लॉ एक्ट, विधि, नियम, विनियम आदि सभी पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। और ये पुरुष केंद्रक (Androcentric) लोकाचार को वैध और अविरल बनाये रखते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रभावशाली सामाजिक व्यवस्था में सिनेमा, साहित्य, पैंटिग, फैशन, दर्शन और धर्म आदि में लैंगिक रुढ़िवादी विचारों को बढ़ावा दिया जाता है और उसे पुर्नस्थापित किया जाता है। महिला के विरुद्ध हिंसा कई प्रकार और कई कोनों से होती है। यहाँ कुछ जेंडर सम्बंन्धी हिंसा होती है जैसे लैंगिक दमन, उत्पीडन, बलात्कार, वैवाहिक

बलात्कार, घरेलू हिंसा , अवैध व्यापार, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति आदि। इसमें पुरुष अपना शक्ति प्रदर्शन प्रभुता स्थापित करने के लिए करता है। यह जान-बूझकर किया गया प्रयास है जिससे महिलाओं को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने से रोका जाता है।

यहाँ यह बताना जरुरी है कि रीति-रिवाज और संस्कृति के नाम पर कुछ नियम महिलाओं पर जबरदस्ती थोपे जाते हैं।इसीलिए हरियाणा, यू.पी. (भारत) में कुछ गाँवों में वास्तव में अपनी या परिवार की इज्जत को बनाये रखने के लिए खाप पंचायतों द्वारा प्राय: जो आदेश जारी किये जाते हैं, उन्हें न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता यह पितृसत्ता के अस्तित्व को बनाये रखने के तरीके है जिनमें - 'सम्मान' की रक्षा के लिए हत्याएँ तक हो सकती हैं। इसी तरह के कई मामले हैं जिसमें जन्म सम्बन्धी, अंगछेगन या पर्दा-प्रथा को सांस्कृतिक अधिकार से मान्यता प्राप्त है।

समकालीन समस्याएँ

महिला सशक्तीकरण के लिए नारीवादी युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। बदलते समय के साथ समस्याएँ भी बदल रही हैं। इन समस्याओं से जूझने के लिए उन्हें रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नारीवादियों को कई नीतियों और आयामों के प्रति थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वंदना शिवा कहती हैं कि महिला समुदाय को वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव से होशियार रहना पड़ेगा। महिलाएँ विश्व में खासतौर पर एशिया में वास्तविक खाद्य उत्पादक हैं। (शिवा:2010:) नई-उदार अर्थव्यवस्था, बड़े कृषि आधारित व्यापार, बॉयोटिक कॉर्पोरेशन आदि कृषि क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा रहे हैं। राज्य के विकासवादी प्रतिमान में महिलाओं को हाशिये पर डाल रहे हैं।

नारीवाद समेत कोई भी विवाद देश, काल के संदर्भ पर निर्भर करते हैं। अश्वेत नारीवादियों और उत्तरउपनिवेश नारीवादियों ने इस बात पर जोर डाला है। एक दलित स्त्री, अश्वेत , गरीब महिला का भारत जैसे देश में हर दृष्टि से दमन होता है।

नये मामलों, जैसे सेरोगेसी के आ जाने से विश्व में गरीब महिलाओं का दमन और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ गई हैं। व्यावसायिक सेरोगेसी में एक महिला अनुबंध पर किसी और के भ्रूण को पैसे के लिए अपने गर्भाश्य में पालती है। नारीवादियों ने इस विषय में बहुत सारी समस्याएँ दर्ज की हैं जैसे प्रजनन के लिए महिला का पण्यीकरण (Commodifiction) और बहुत सारे नैतिक मामले महिला सशक्तिकरण का एक तरीका यह है कि उनको सम्पत्ति का अधिकार दिलाया जाए। नारीवादी विद्वान, जैसे बीना अग्रवाल, जयति घोष,वंदना शिव आदि महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार के समर्थन में बात कर रही हैं। सरकारी नीतियों को लिंग के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ताकि रचनात्मक रूप में उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके और संसाधनों तथा अवसरों के प्रवेश द्वार उनके लिए खोलें जा सकें। विकास में महिलाएँ (वूमैन एण्ड डेवलपमैंट) और बाद में जेंडर विश्लेषण में विकास (GAD) जैसी सरकारी नीतियाँ महिलाओं को विकास के दायरे में लाने का प्रयास कर रही हैं। इसके साथ 1980 के

दशक से महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए किए गए हैं। जेंडर बजटिंग, जेंडर ऑडिटिंग जैसे प्रावधान भी महिलाओं को राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में पुर्नस्थापित करने के लिए हैं । इसके परिणामस्वरूप महिलाओं से जुड़ी माइक्रो क्रैडिट स्कीम तथा आदिवासी महिलाओं की संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यक्रमों में भागीदारी की योजनाएँ भी अस्तित्व में आई हैं।

उत्तर आधुनिक नारीवादियों की मांग है कि महिलाओं और पुरुषों में समानता होनी चाहिए और समानता सिर्फ नाममात्र की ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप से होनी चाहिए। इसके साथ-साथ उनकी यह भी मांग है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों की सम्पत्ति, आनंद और लैंगिक इच्छापूर्ति का साधन माने जाने की सोच को बदलने की जरूरत है। इस व्यवस्था में विवाह के बाद महिला को पुरुष की सम्पत्ति मानने के साथ-साथ उसका लैंगिक दमन भी होता है क्योंकि शादी के बाद किसी भी विषय पर महिला की सहमति न लिये जाने की इस व्यवस्था के अंतर्गत पत्नी से यौन सम्बन्ध पर उनकी सहमति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पुरुष द्वारा अपनी कामुकता उस पर थोप दी जाती है। ऐसे में महिलाएँ अपने-आपको परिवार में सुरक्षित महसूस नहीं करती है और उनको अपने साथ पुरुष के सम्बंध वैवाहिक बलात्कार जैसे लगते हैं। इस विषय पर हम अगर कानूनी नियम की बात करें तो भारत जैसे देश में इस विषय पर न तो कोई कानून है और न ही किसी सजा का प्रावधान है। कारण यह है कि स्त्री-पुरुष सम्बंधें को निजी विषय माना जाता है और कोई आधिकारिक कार्यवाही का प्रावधान नहीं है। ऐसे में, आधुनिक-नारीवादियों की ये मांग है कि इस विषय पर हर देश में कानून-निर्माण होना चाहिए क्योंकि यह भी परिवार के अंदर घरेलू हिंसा के साथ-साथ एक यौन-शोषण का भी मामला है।इस विषय पर किसी कानून का न होना, या आपसी सम्बंधों में महिलाओं की सहमति न लिया जाना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पारिवारिक संस्थाएँ टूट रही हैं और एकल, अभिभावक और लिव-इन-रिलेशन जैसे नये रिश्ते उभर कर आ रहे हैं। इसमें शादी का बंधन और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ से अलग महिलाएँ और पुरुष अपनी लैंगिक इच्छापूर्ति के लिए सहमति से साथ रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार सहमति से ही अलग होना पसंद करते हैं और पारम्परिक पारिवारिक संस्थाओं का विघटन हो रहा है जिसमें महिलाएँ वैवाहिक बंधनों से अलग होकर अपनी आजादी के साथ जीना चाहती हैं। लेकिन उनकी इस आजादी को प्रतिबंधित करने के लिए उन पर अनैतिक होने का आरोप लगाया जाता है। यहाँ एक प्रश्न है कि क्या नैतिकता के मायने सिर्फ महिलाओं के लिए है ? पुरुषों के लिए क्यों नहीं है।समाज के दोहरे मानदण्ड के बदलने का समय अब आ गया हैं क्योंकि नैतिकता को भी हथियार बनाकर कहीं न कहीं महिलाओं को हमेशा एक निश्चित दायरे तक ही सीमित कर दिया गया। इसके बाद दूसरी समस्या है महिलाओं के प्रजनन सम्बन्धी अधिकार। नारीवादियों की यह मांग है कि महिलाओं को प्रजनन सम्बन्धी अधिकार दिये जाने चाहिए। महिलाओं के प्रजनन पर भी पुरुषों और उनके परिवार का ही अधिपत्य रहता है जबकि महिला की सहमति यहाँ पर भी नगण्य है कि महिला की प्राथमिकता क्या है। वह अपने भविष्य के बारे में और कैरियर को आगे बढ़ाने को लेकर कुछ निर्णय नहीं ले सकती हैं। महिलाओं से इस बारे में कोई राय राय नहीं ली जाती है और अपने परिवार और पति की प्राथमिकता पर उसे कई बार न चाहते हुए भी बच्चे को जन्म देना, पालन-पोषण करना आदि जिम्मेदारियों में बाँध दिया जाता है।इस विषय पर नारीवादी चाहते हैं कि बच्चे को

जन्म देना, बच्चा एक हो या दो, या बच्चे को गोद देना ये सब अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक महिला को होने चाहिए। इस पर पुरुष और परिवार का दबाव नहीं होना चाहिए क्योंकि नारीवादी ये मानते हैं कि इन सब व्यवस्थाओं के कारण महिला का स्वयम् से अलगाव हो रहा है।

समाज में विचारधारात्मक अधिपत्य को हटाने की जरूरत है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज के चिंतन में लड़के और लड़की के सामाजीकरण की प्रक्रिया के तहत अलग-अलग तरीके से पालन-पोषण शामिल होता है। । इसके अंतर्गत माताएँ अपनी बेटी का पालन - पोषण एक अच्छी बेटी, बहन या भविष्य में एक अच्छी पत्नी के गुण होने की दृष्टि से पालती है लेकिन इनमें उनकी अपनी बेटी की पहचान और अस्तित्व कहाँ है। हालाँकि माताएँ अपने बच्चों का पालन पोषण प्यार और सामाजिक-सुरक्षा को ध्यान में रखकर करती है परंतु वास्तव में वह भी पितृसत्ता को मूक समर्थन दे रही होती है।

महिलाओं की स्थिति की कल्पना हम इन उदाहरणों से भी लगा सकते हैं।उनके कोमल स्वभाव के कारण प्यार के नाम पर धोखा देना, उनकी हत्या करना, तेजाब फेंकना जैसी आम समस्याएँ हैं जिसमें महिलाएँ ये सोचने को मजबूर हो जाती है कि उनका क्या कसूर था? क्यों उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया।महिलाओं की स्थिति पश्चिमी देशों में भी बहुत अच्छी नहीं है।

अगर एक समान समाज की रचना करनी है तो महिला होने की पहचान को सम्मान और सहमति के साथ अपनाया जाना जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, एक पहचान है।जिस प्रकार पुरुष का अलग अस्तित्व है उसी तरह महिला का भी एक अलग व्यक्तिव है जिसको साथ लेकर चलने की जरूरत है।

महिलाओं और पुरुषों का विवाद कभी भी समाज को आगे नहीं बढ़ा पायेगा। दोनों साथ चलने की इच्छा रखेंगे, तालमेल रखेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, एक-दूसरे के विरुद्ध जाकर नहीं।.

राजनीतिक सिद्धांत पर इसका मिला जुला प्रभाव पड़ा है।समय -समय पर नारीवाद की परिभाषा बदलती रही है।कई बार नारीवाद मुख्यधारा से भी हट जाता है।जब नारीवाद मुख्यधारा के साथ अपना तालमेल बैठा लेगा और खासकर समसामयिक समाज में जो नया मुद्दा उभर रहा है।नागरिकता को लेकर वाद-विवाद में।नारीवाद नई बुद्धिजीवी दिशा तथा पुरुषों के हितों के साथ सामजस्य बनाने में समर्थ हो रहा है।

संसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं के विषय में निर्णय लेने के लिए जरूरी हो गया है कि महिला सांसदों तथा विधायकों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही विभिन्न महिला विषयक समितियों में महिलाओं के बहमत की व्यवस्था की जाए तथा निचले स्तर तक ग्राम पंचायतों, नगर-निगम, आवासी कल्याण समितियों (RWAS) में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रशासन जेंडर के प्रति संवेदी हो और महिलाओं को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण किया जाए। समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता में परिवर्तन की जरूरत है।

बहुत सारे नारीवादी यह मानते हैं कि हम उत्तर आधुनिक नारीवादी युग में आ गये है जिसमें नारीवाद की भूमिका कम हुई है। नारीवादी सिल्वियावाल्सबी अपनी पुस्तक "**फ्यूचर ऑफ फेमिनिज्म**" में जोर पूर्वक कहती हैं कि नारीवाद धीरे-धीरे नये रूप ले रहा है और यह तब तक गतिमय रहेगा जब तक कि समाज में जेंडर असमानता और पितृसत्ता बनी रहेगी। सभी देशों के सभी सामाजिक आंदोलनों में महिला आंदोलन सक्रिय, उन्नतिशील और सुधारवादी रहा है। हर देश के नारीवादी इस आंदोलन में अपनी समस्याओं के हल के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हाँलाकि जमीनी स्तर पर स्त्रीवादी विमर्श हर देश एवं भौगोलिक सीमाओं में अपने स्तर पर सक्रिय रहता है और हर क्षेत्र में नारीवादी विमर्श की अपनी अलग-अलग समस्याएँ होती हैं। सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं ने सर्वथ असमानता, अधीनता और दोयम दर्जे के व्यवहार का सामना किया है। समाज में महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से ही दोयम दर्जे की रही है परंतु महिलाओं की इस दोयम दर्जे की स्थिति का कोई स्पष्ट और ऐतिहासिक वर्णन नहीं है।

जेंडर और राजनीतिक सिद्धांत

राजनीतिक सिद्धांत की मुख्यधारा में राजनीतिक सिद्धांतीकरण अभी तक पुरुष प्रधान रहा है। जब हम इस विषय की गहन जाँच करते हैं तो यह देखने को मिलता है कि राजनीति को सदैव पुरुष के ही कार्य क्षेत्र के रूप में पेश किया गया और सदैव महिलाओं से जुड़े प्रश्नों को इस प्रकार नकार दिया गया जैसे कि इसकी कोई प्रासंगिकता ही न हो। इतना ही नहीं राजनीति के अध्ययन और अभ्यास को इस प्रकार से संचालित किया गया, जिससे महिलाएँ स्वत: ही राजनीति के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गईं । प्रो.सूसैन मोलर ऑकिन का दृढ़ मत है कि चाहे आदर्शवादी विचारक हो या उदारवादी, रुढ़िवादी लेखक हों या मार्क्सवादी, सभी ने अपनी रचनाओं में महिलाओं की अवहेलना की है। शुरू से ही इस विचारधारा का अधिपत्य रहा कि 'नारी' और 'पुरुष' के कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं।'बाजार' और 'राजनीति'पुरुष का कार्यक्षेत्र है जबकि परिवार की देखरेख और शिशु पालन महिला का दायित्व है।

अरस्तू की दृष्टि में पुरुष के मुकाबले महिला का दर्जा निचला है। जॉन लॉक ने जब राजनीतिक शक्ति व शक्ति सम्बंधों की चर्चा की तो परिवार को इसके दायरे से बाहर रखा। इसी प्रकार रूसो और हीगेल ने पारिवारिक क्षेत्र में पुरुष की प्रधानता को न्यायोचित ठहराया। उदारवादी लेखकों की खास थीम (Theme) यह रही कि परिवार को राज्य के नियन्त्रण व हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। 'अहस्तक्षेप नीति' को ही उन्होंने स्वतंत्रता की आड़ में नारी को उत्पीडित करने का आधार बना दिया। एक तरह से उन्होंने 'पुरुष'को यह अधिकार दे दिया है कि अपनी पत्नी और बच्चों को वह चाहे जैसे रखे। पुरुष जब चाहे पत्नी और बच्चों को पीट सकता था। वह पत्नी की सहमति के बिना भी अपनी कामुकता उस पर थोप सकता था। प्रो.सूसैन लिखती हैं ,ब्रिटेन में पत्नी को पीटना 1962 में ही गैर कानूनी घोषित किया गया। यद्यपि अब यह कृत्य गैरकानूनी है, पर 1970 के दशक में यह पता चलता है कि ब्रिटेन और अमेरिका में यह प्रथा जारी है, पुरुष भले ही इस बात को नकारते रहें। (ऑकिन: :)

मार्क्सवादी लेखकों ने 'वर्ग' और भौतिक रिश्तों को अपने अध्ययन का विषय बनाया। उनके अनुसार,"आर्थिक ढाँचा ही सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण करता है" । हर तरह के अनर्थ की जड़ निजी सम्पत्ति है लेकिन जहाँ यह समाप्त कर दी गई,वहाँ भी नारी का उत्पीड़न समाप्त नहीं हुआ। साम्यवादी चीन में भी नारी सामाजिक या आर्थिक धरातल पर सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार वास्तव में जेंडर एवं राजनीतिक सिद्धांत के विषय में जूडिथ स्क्वायर(Judith squires) ने अपनी पुस्तक **'जेंडर इन पॉलिटिकल थ्योरी'** में राजनीतिक सिद्धांत की वस्तुनिष्ठता (objectivity) एवं सार्वभौमिकता के तथाकथित दावे का भाँडाफोड़ किया है। (संक्वैयरस, जूडिथ,2000) इस पुस्तक में उन्होंने नारीवादी सिद्धांत की जेंड़र प्रकृति के बारे में की ओर नारीवादी प्रतिक्रिया को तीन मौलिक दृष्टिकोणों में बाँटा है : समावेश करना(Inclusion), स्त्री-पुरुष में भेद करना (difference) एवं उलटना एवं विस्थापित करना (Reversal and displacement)। उनका उद्देश्य राजनीतिक सिद्धांत और उसकी मौलिक अवधारणाओं जैसे समानता,न्याय, नागरिकता और प्रतिनिधित्व को बहुल नारीवादी दृष्टिकोण से पुन: अवधारणीकरण एवं नई भूमिका देना है। नारीवादियों के समक्ष मुख्य परियोजना यह है कि जेंडर शून्य राजनीतिक सिद्धांत को किस प्रकार जेंडर के प्रति संवेदनशील, जेंडर विशिष्ट एवं जेंडर के प्रति उत्साहपूर्वक अनुकूल सिद्धांत के रूप में परिवर्तित किया जाए।

लेफ्टविच हैल्ड और कई अन्य राजनीतिक सिद्धान्तकारों ने राजनीति के बारे में जो आधुनिक परिभाषाएँ दी हैं, उनका अधिकाधिक जोर राजनीतिक समूहों, संस्थाओं(औपचारिक और अनौपचारिक) सार्वजनिक और निजी जीवन एवं सहयोग, समझौता इत्यादि सभी से सम्बन्धित है। इस प्रकार की सोच ने राजनीति का क्षेत्र एवं आकार का काफी विस्तृत कर दिया है जिससे जेंडर राजनीतिक अध्ययन की मुख्य धारा में आ रहा है । शक्ति के अध्ययन के रूप में राजनीति की यंत्रवादी अवधारणा (Instrumentalist conception) ने नारियों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में अभी तक प्रतिबंधित द्वारों को खोल दिया है। इस प्रकार एक व्यापक श्रेणी के तौर पर नारीवदियों का प्रयास राजनीतिक सिद्धांत का नारीकरण होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक अवधारणा का नारीवादी दृष्टिकोण से मनोविश्लेषण करना चाहिए। उदाहरण के लिए, न्याय के हर सिद्धांत में न्याय के जेंडर सम्बन्धी दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए। इसी प्रकार शक्ति सम्बंधी धारणा का विश्लेषण करते समय पितृसत्ता को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए; पितृसत्ता शक्ति, प्रभुत्व एवं दमन का उदाहरण है। समानता सम्बंधी विमर्श में महिलाओं की समानता के विषय को मुद्दा बनाना चाहिए। इस प्रकार कुल मिलाकर महिलाओं के दमन एवं उनके हाशिए पर होने के विषय को राजनीतिक सिद्धांत अध्ययन में सबसे अग्र स्थान पर लाना चाहिए।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची</u>

भसीन,कमला, (2000), अंडरस्टैंडिंग जेंडर, कली फोर वूमैन, नई दिल्ली.

फेरैली, कोलिन, (2004), इंट्रोडक्शन टू कंटैम्पररी पॉलिटिकल थियरी, सेज पब्लिकेशनस, लंदन, थाउजैंड ऑक्स, नई दिल्ली.

जैगर, एलीसन. (1983)' फैमिनिस्ट पॉलिटिक्स एण्ड ह्युमन नैचर'रॉमौन एंड एलेन हेल्ड, टोटोवा, एन.जे.

हेवुड, एंड्रयु, (1992), पॉलिटिकल आइडियोलॉजिज, पालग्रेव, मैकमिलन,

प्रभा दीक्षित, जॉन स्टुअर्ट-मिल और नारीवाद, (http://adharshilapatrika.blogspot.in/2009/10/blog-post_5903.html)

नारीवाद :एक अवलोकन,मुफ्त ज्ञानकोष, विकिपीडिया, (http://sandeepmalhan88.blogspot.in/2012/06/blog-post_28.html)

टॉग़, रोजमैरी, फै(1989),मिनिस्ट थॉट ए कॉम्प्रिहैंसिव इंट्रोडक्शन, रॉटलैज, लंदन,

मैकिनन, कैटरियोना,(2008),इश्यूज इन पॉलिटिकल थियरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थियरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस,

हेवुड, एंड्रयू, (1992), पॉलिटिकल आइडियोलॉजिज, पालग्रेव, मैकमिलन,

ब्रायसन वैलेरी,(2002),जेन्डर इन कंटम्परैरी पॉलिटिकल कांसैप्टस ए क्रिटिकल इंट्रोडक्शन (संपा) जोर्जिना ब्लैकले एंड वैलेरी ब्रायसन, प्लूटो प्रैस, लंदन, स्टर्लिंग, वर्जिनिया.

मेनन, निवेदिता,(2012),सीइंग लाइक ए फैमिनिस्ट, पैंग्विन बुक्स, जुबान, नई दिल्ली, इंट्रोडक्शन,

शिवा, वंदना,(1988),स्टेइंग अलाइव : वूमैन इकोलॉजी एण्ड सरवाइवल इन इंडिया (इंट्रोडक्शन) वूमैन अनलिमिटेड नई दिल्ली.

ऑकिन, सूजन मोलर, ' जेंडर दी पब्लिक एण्ड दा प्राइवेट'

स्क्वैयरस, जुडिथ, (2009),जेंडर इन पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटि प्रैस,

अन्य पठनीय सामग्री:

1.बैरेट, मिशेल, वूमेंस आप्रेश टुडे (लंदन: वर्सो, 1988)

2.बटलर, ज्यूडिथ, जेंडर ट्रबुल (न्यूयार्क और लंदन:रुटलेज,1990)

3.द बुआ, सिमोन, द सेकेंड सेक्स (लंदन: पिकाडोर,1988)

4.जिलीगन, दमरमेड एण्ड मिनोचर: सेक्शुअल अरेंजमेंट्स एण्ड ह्यूमन मैलिस(न्यूयार्क : हार्पर एण्ड रॉ : 1976)

5.गिलीगन,केरोल, इन अडिफरेंट बॉयस :साइकोलॉजी एण्ड वूमेंस डेवेलपमेंट (हार्वर्ड : हार्वड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1983)

6.जैगर, ऐलीसन, फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एण्ड ह्यूमन नेचर ब्रिगटान: हार्वेस्टर प्रेस,1993)

7.केसलर, सुजेन जे, 'द मेडिकल कन्स्ट्रक्शन ऑफ जेंडर: केस मैंएजमैंट एण्ड इंटरसेक्शड इनफैंटस., संकलित एन.सी।हरमन और एबीगेल स्टीवार्ट (सं) थियराइजिंग फेमिनिज्म (बेसिल ब्लैकवेल , 1994)

8.उड्शूर्न नेली, बियॉन्ड द नेचुरल बॉडी, एन आर्कियोलॉजी ऑफ सेक्स हार्मोस (लंदन :रूटलेज 1994)

9. रामानुजन, ए.के।स्पीकिंग ऑफ शिवा(अंग्रेजी अनुवाद हामोंडसवरथ: पेंग्विन , 1973)

10. थारू, सूजी और तेजस्विनी, 'प्रॉब्लम फॉर अ कम्टेम्परारी थियरी ऑफ जेंडर, संकलित, निवेदिता मेनन (सं)।जेंडर एंड पॉलिटिक्स(दिल्ली : ऑक्स फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999)

11. टॉग़, रोजमैरी, फैमिनिस्ट थॉट ए कॉम्प्रिहैंसिव इंट्रोडक्शन (रॉटलैज ; लंदन 1989)

12.हेवुड एंड्रयू , पॉलिटिकलआइडियोलॉजिज (पाल्ग्रव, मैकमिलन 1992)

13.मैकिनन, कैटरियोना, इश्यूज इन पॉलिटीकल थियरी (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस 2008)

14.शिवा, वंदना, स्टेइंग अलाइन : बूमैन, इकोलॉजी एंड सरवाईवल इन इंडिया, (इंट्रोडक्शन) वूमैन अनलिमिटेड, नई दिल्ली, 2010 (फर्स्ट पब्लिशड बॉय कली फॉर वूमेन इन 1988, अन लिमिटेड)

15.मेनन, निवेदिता, सीइंग लाइक ए फैमिनिस्ट,(पैंग्विन बुक्स,ज़ुबान , नई दिल्ली, 2012)

16. भसिन कमला(1993) वॉट इन पैट्रियार्की? कली फोर वूमैन, नई दिल्ली।

17.भसिन, कमला (2003) अंडरस्टैंडिग जैंडर, वूमैन अनलिमिटिड, नई दिली ।

18.बैनिट जेन,(2004) “पोस्ट मार्डन अप्रोचिज टू पॉलिटिकल चियरी” इन गॉस , गैराल्ड एफ.एण्ड चंद्रन कुकथास हैंडबुक ऑफ पॉलिटिकल थियरी सेज, लंदन , थाउजैंड ऑकस,नई दिल्ली, पृष्ठ -46

19.कैहून, लॉरेंस (संपा) (1996) मॉडर्निज्म टू पोस्टमॉर्डिनिज्म एण्ड एंथोलॉजी,ब्लैकविल पब्लिशर्स लिमिटेड कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड

20.द बुआर, सिमोन (1970) द सेकेंड सैक्स, बैतनाम, न्यूयॉर्क।

21.द बुआर, सिमोन द सेकेंड सेक्स हिंदी (स्त्री)

22.चैबर्स, क्लेयर(2008) 'जैडर' इन मिकिनन, कैटरियोना (संपा)

23.इश्यूज इन पॉलिटिकल थियरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क।

24.एंगेल्स , फ्रैडरिक, द ऑरिजिन ऑफ दि फैमिली, प्राइवेट प्रोपर्टी एण्ड द स्टेट, मॉस्को, प्रोग्रस पब्लिशर्स , 1948।

25.एनलोई सिंधिया एच (2000) बनाना, बिचीज एंड बेसिस ।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : नारीवाद के उदय एवं विकास का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए ।

प्रश्न : नारीवाद के अध्ययन के मुख्य उपागमों का वर्णन कीजिए|

प्रश्न : पितृसत्ता क्या है? आलोचनत्मक अध्ययन कीजिए कि किस प्रकार इस व्यवस्था के तहत महिलाएँ हाशिये पर और दोयम दर्जे पर रहती हैं|

प्रश्न : जेन्डर और राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ?